"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 448] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2004—कार्तिक 8, शक 1926

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2004

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/34/2004/वा.क.(पं.)/पांच (83). —भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा ऋण के ऐसे करार विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है जो :-

(1) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति द्वारा, जो रेवेन्यू बुक सरक्युलर चार-3-10 के अधीन पट्टाधारी के रूप में भूमि धारण करता हो, या ऐसा भूमि स्वामी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो.

(2) ऊपर (1) के अधीन न आने वाले ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके खाते में रेवेन्यू बुक सरक्युलर चार-3-10 के अधीन पट्टाधारी के रूप में 10 हेक्टेयर से अनधिक भूमि हो अथवा जो भूमि स्वामी के रूप में 10 हेक्टेयर से अनधिक भूमि धारण करता हो.

बैंक के पक्ष में कृषि प्रयोजन के लिए अल्प अवधि के ऋण प्राप्त करने हेतु निष्पादित किये जायें.

इस अधिसूचना में : -

(क) "बैंक" से अभिप्रेत है :-

(एक) दि बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) में यथा परिभाषित बैंकिंग कम्पनी,

(दो) दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1955 (क्र. 23 सन् 1955) के अधीन गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,

(तीन) दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सब्सीडीयरी बैंक्स) एक्ट, 1959 (क्र. 38 सन् 1959) में यथा परिभाषित सब्सीडीयरी बैंक,

(चार) दि बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजीशन तथा ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) एक्ट, 1970 (क्र. 5 सन् 1971) के अधीन गठित तत्स्थानी नवीन बैंक,

(पांच) दि एग्रीकल्चरल रिफाईनेन्स कार्पोरेशन एक्ट, 1963 (क्र. 10 सन् 1963) के अधीन गठित दि एग्रीकल्चरल रिफाईनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन,

(छः) दि छत्तीसगढ़ एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन, रायपुर,

(सात) दि कम्पनीज एक्ट, 1956 (क्र. 1 सन् 1956) के अधीन निगमित एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड,

(आठ) रीजनल रूरल बैंक एक्ट, 1976 (क्र. 21 सन् 1976) की धारा 3 की उपधारा के अधीन स्थापित रीजनल रूरल बैंक,

(नौ) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 2 (डी.-एक), 2 (एच.एच.) के अधीन स्थापित सहकारी बैंक.

(ख) "कृषि प्रयोजन" से अभिप्रेत है :-

भूमि को खेती योग्य बनाना, भूमि पर खेती करना, भूमि का विकास, जिसमें सिंचाई के स्रोतों का विकास सम्मिलित है, फसलें उगाना एवं उनकी कटाई, उद्यान, कृषि वन विज्ञान, रोपण तथा कृषि कर्म, पशु अभिजनन, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, बीज कृषि, मत्स्यपालन, मधुमक्खी पालन, रेशन उत्पादन, शूकर पालन एवं कुक्कुट पालन और किसी भी ऐसे क्रिया-कलाप के संबंधों में उपकरणों तथा मशीनरी का अर्जन.

(ग) "अल्प अवधि के ऋण" से अभिप्रेत है :-

कृषि प्रयोजन के लिए लघु आवधिक ऋण सीमा जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया/नाबार्ड द्वारा अभिनिर्धारित किया जाये.

उक्त अधिसूचना इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, सचिव

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2004

क्रमांक एफ-10/34/2004/वा.क.(पं.)/पांच (83). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/34/2004/वा.क.(पं.)/पांच (83), दिनांक 30-10-2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, सचिव.

Raipur, the 30th October 2004

NOTIFICATION

No. F-10-34/2004/C.T.(R)/V (83). – In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) the State Government hereby remits the stamp duty chargeable on loan agreements when executed by :-

(1) a person belonging to a scheduled caste or a scheduled tribe, holding land as a pattadhari under revenue book circular IV. 3-10 or a bhumiswami belonging to the scheduled caste/or scheduled tribe.

(2) a person not covered by (1) above but having holding not exceeding 10 hectares as pattadhari under revenue book circular IV. 3-10 or a bhumiswami having holding not exceeding 10 hectares,

in favour of banks for securing "short terms loans" for agricultural purpose.

Explanations :- in this notification :-

(a) **"Bank" means :-**

(i) a banking company defined in the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949);

(ii) the State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act, 1955 (No. 23 of 1955);

(iii) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (No. 38 of 1959);

(iv) a corresponding new bank, constituted under the Banking companies (Acquisition, Transfer of undertakings) Act, 1970 (No. 5 of 1971);

(v) the Agricultural Refinance Corporation constituted under the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963 (No. 10 of 1963);

(vi) the Chhattisgarh State Agro Industries Development Corporation Ltd. Raipur;

(vii) Agricultural Finance Corporation Ltd. a company incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 10 of 1956);

(viii) a Regional Rural Bank established under sub-section (1) of section 3 of Regional Rural Bank Act, 1976 (No. 21 of 1976);

(ix) a Co-operative bank registered under section 2 (d-i), 2(h-h) of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

(b) **"Agricultural purposes" means :-**

Making land fit for cultivation of land, improvement of land including development of sources of irrigation, raising and harvesting of crops, horticulture, forestry, planting and farmeing, cattle breeding, animal husbandry, dairy farming, seed farming, pisciculture, sericulture, piggery and poultry farm farming and the acquisition of implements and machinery in connection with any such activity.

(c) **"Short term loan" means :-**

Short term credit limit as stipulated by the RBI/NABARD for agricultural purposes.

This notification will come into effect from the date of it's publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

D. S. MISRA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-2005.